न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 134/2023 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नेनूदेवी पत्नी हीराराम जाति जाट, निवासी मोगेराई तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. धनीदेवी पत्नी खींयाराम जाति जाट, निवासी मोगेराई तहसील शिव, जिला बाड़मे 2. चम्पालाल पुत्र चिंतामणदास 3. पारसमल पुत्र चिंतामणदास 4. किशनलाल पुत्र चिंतामणदास जाति महाजन, निवासी भींयाड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 02.02.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीनी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 188/120 रकबा 6.0703 हैक्टेयर मौजा मोगेराई, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीनी के रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा प्रार्थीनी काबिज काश्त है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीनी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 120/26 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 126/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 125/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त रास्ता आगे मोगेराई जाने वाली ग्रेवल सड़क से जुड़ने हेतु चाहा गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीनी का निवेदन है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीनी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीनी की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का लघुतम विकल्प है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा मोगेराई के खसरा नम्बर 188/120 रकबा 6.0703 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.1619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120/26 रकबा 6.0703 हैक्टेयर में से रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 126/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से 0.1457 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ता कटाण बाबत् प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थीनी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीनी अधिवक्ता अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 188/120 रकबा 6.0703 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.1619 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120/26 रकबा 6.0703 हैक्टेयर में से रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 126/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से 0.1457 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीनी की खातेदारी तक अन्य विकल्प उपलब्ध होने के संबंध में नहीं बताया गया है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थीनी एवं व्रिपार्थीनी संख्या 1 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीनी अधिवक्ता एवं विप्रार्थीनी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 188/120 रकबा 6.0703 हैक्टेयर मौजा मोगेराई, पटवार मण्डल चोचरा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थीनी के खसरा नम्बर 188/120 रकबा 6.0703 में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि प्रार्थीनी की स्वयं की होने से प्रतिफल राशि लिये बगैर तथा अन्य पक्षकारान् की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीनी संख्या 1 के खसरा नम्बर 120/26 रकबा 6.0703 हैक्टेयर में से रकबा 0.0.0809 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खसरा नम्बर 125/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 126/26 रकबा 7.6081 हैक्टेयर में से रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 02.02.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner